24.7.91

नगर परिषद (सिटी-बोर्ड) जौनपुर की बैठक, दिनांक 24.7.91 अपरान्ह 5.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष
2	श्रीमती शान्ती देवी	नामित सभासद
3	श्री शोभनाथ आर्य	सदस्य
4	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	"
5	श्री मिठाईलाल	"
6	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
7	श्री डा० सुनील श्रीवास्तव	सदस्य
8	श्री रमजान खां	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
9	श्री गणेशनाथ रावत	सदस्य
10	श्री शिवकुमार गुप्ता	"
11	श्री विद्यासागर सोनकर	"
12	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	"
13	श्री दयाशंकर साहू	"
14	श्री रामअधार यादव	"
15	" मुख्तार अहमद	"
16	" डा० कृष्णा कुमार श्रीवास्तव	"
17	" अनसरजा उर्फ 'भइयाजी'	"
18	" बाबूलाल गुप्ता	"
19	" हाजी मो० सलीम	"
20	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	"
21	" मो० नजीर	"
22	" कैलाशनाथ मौर्य	"
23	" लालचन्द्र मौर्य,	नगर विधायक / पदेन सदस्य

[illegible signature]

अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड,
जौनपुर
24.7.91

[illegible signature]

अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

24.7.91

बैठक की कार्यवाही शुरु होने से पूर्व सर्वश्री राजेन्द्रप्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नरेन्द्र बहादुर सिंह, गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने पेय-जल समस्या का प्रश्न उठाते हुये कहा कि नगर में कितने हैन्डपम्प लग रहे हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? "हमलोगों को जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी द्वारा 100 इंडिया मार्क II हैन्ड पम्प जौनपुर नगर के लिये आवंटित है परन्तु ये हैन्ड पम्प कहाँ कहाँ लग रहें हैं इसकी कोई विस्तृत जानकारी हमलोगों को नहीं है।" अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पिछली बैठक दिनांक 10.5.91 की कार्यवाही की पुष्टि हो जाय तब उसके पश्चात इसकी जानकारी जलकल अभियन्ता द्वारा दी जायेगी।

पिछली बैठक दिनांक 10-5-91 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि हेतु परिषद लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा सदन में पढ़े जाने पर जलकल परिसर से लगे दुकान निर्माण कराने व व्यय अनुमान स्वीकृत आमंत्रित किये जाने विषयक प्रस्ताव सं० 11 दिनांक 10-5-91 पर श्री अनवार उर्फ 'भइयाजी' सभासद ने आपत्ति प्रकट करते हुये जलकल परिसर के दीवाल के स्थान पर दुकान बनाये जाने के प्रस्ताव पिछली बैठक में नहीं रखे गये थे और न ही प्रस्ताव का समर्थन ही किसी के द्वारा किया गया अतएव इन दुकानों के निर्माण के टेन्डर स्वीकृत किये जाने का कोई प्रश्न नहीं था। अतएव इन दुकानों के टेन्डर नहीं लिये जाने चाहिये। इन दुकानों के लिये बोर्ड के समक्ष पहले प्रस्ताव लाया जाय और वह पास हो तब टेन्डर प्रकाशित हो तभी यह कार्य किया जायेगा और तभी यह पारित समझा जायेगा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रस्ताव

24.7.91

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की स्वीकृति से के अन्तर्गत पिछली बैठक में रखा गया था और अन्य प्रस्ताव के साथ इसे भी पारित किया गया था, इस बात का अधिकांश सभासदगण ने विरोध किया और कहा कि इसे पुन: अगली बैठक में एजेन्डा में रखा जाय, इस पर अध्यक्ष महो० ने कहा कि ठीक है, जहाँ तक मेरी स्वीकृति की बात है तो इसे पुन: एजेन्डा में रखा जाय। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस दुकान निर्माण प्रस्ताव को पुन: बोर्ड में रखा जाय कि दुकाने बनाई जाय या नहीं, इसे पिछली बैठक की पुष्टि की कार्यवाही से निकाल दिया जाय और इसे निरस्त किया जाता है शेष कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

श्री गणेशनाथ यादव, सभासद ने कहा कि हर माह हड़ताल क्यों होते हैं? यदि हड़ताल हो तो होने दिया जाय। आखिर इनकी माँगों पर क्यों कार्यवाही नहीं हो पा रही है? इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रश्नकाल का समय नहीं है इसको बाद में रखा जाय। तदोपरान्त डा० सुनील श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल का कोई समय निश्चित किया जाय ताकि उसी समय के अन्दर प्रश्न पूछे जा सके और जनता की समस्याओं को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखकर उनका निवारण किया जाय। इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रस्ताव हो जाने के पश्चात प्रश्नकाल होगा, जिसमें प्रश्न पूछे जायेंगे जो सर्वसम्मति तय पाया गया। श्री सत्यराजा उर्फ भइयाजी ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि रू० 5.19 करोड़ की पेयजल की योजना स्वीकृत हुयी है और अध्यक्ष महोदय के प्रयास से 100 हैन्डपम्प नगर में लगाये जा रहे हैं, यह हैन्डपम्प कहाँ कहाँ लगाये जा रहे हैं यह उन्हें मालूम

24.7.91

नहीं। यदि 5.18 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई तो उसे मुझे दिखाया जाय ताकि हमलोग भी जाने क्योंकि हमलोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती जिससे हमलोग भी जनता को बता सकें और उनकी समस्याओं को सुलझा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय सभासद ने कहा कि जो भी प्रस्ताव दिये जाते हैं उन्हें एजेन्डा में नहीं रखा जाता इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह प्रस्ताव बतायें जो आपने प्रस्तुत किया हो और एजेन्डा में नहीं रखा गया हो। श्री अनवर रजा उर्फ 'भइय्या जी' सभासद ने कहा कि "आप नगर प्रमुख हैं, आप नगर की समस्याओं को जानें, हमने यही अपेक्षा की थी। जल समस्या के निदान हेतु 5-18 करोड़ स्वीकृत हुआ है इसलिये आप द्वारा इसे स्वयं बोर्ड में लाना चाहिये था उन्होंने यह भी कहा कि श्री दयाशंकर साहू सभासद ने प्रस्ताव किया कि जो केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी नगरपालिका के आवास में रह रहे हैं, उनसे किराये के रूप में मासिक कटौती किराया की जाती है उसे प्रस्ताव में नहीं लाया गया इसलिये हमलोगों ने प्रस्ताव देना बन्द कर दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री अनवर रजा ने कहा कि 5-18 करोड़ की जो योजना है उसको बतायें, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है बाद में बताया जायगा। पहले आज की बैठक में एजेन्डा पर विचार कर लिया जाय। श्री अनवर रजा, सभासद ने कहा कि हमारा निवेदन है कि वित्त कमेटी के बैठक की सूचना उन्हें पूर्व में दी जाय। वित्त कमेटी के अध्यक्ष से चाहूँगा कि वित्त कमेटी

की बैठक में किसी प्रकार का अनुमोदन लेने की बात हो तो उसे और पूर्व में बैठक बुलाकर अनुमोदन ले लिया जाया करे।

प्रस्ताव	निर्णय :-
1. पिछली बैठक दिनांक 10-5-91 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली बैठक दिनांक 10-5-91 के प्रस्ताव सं० 11 - जलमल परिसर में दुकान निर्माण के प्रस्ताव को छोड़कर - शेष कार्यवाही की सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी।
2 सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्यय के वास्तविक आँकड़े परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	आय व्यय के वास्तविक आँकड़ों को लेखाकार द्वारा सदन में अध्यक्ष की अनुमति से पढ़ा गया। सभासद श्री [illegible] ने आपत्ति उठाते हुये कहा कि वाचनालय पर आय 7068=00 है, जो बहुत कम है, व्यय अधिक है, जिसके सम्बन्ध में वे पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तहबाजारी वाचनालय व्यय एक ही में मिलाकर लिखने का क्या औचित्य है? इसे अलग अलग दिखाया जाय। श्री सोमनाथ आर्य, सभासद ने कहा कि अध्यक्षजी का कहना है कि तहबाजारी-वाचनालय का व्यय एक में न दिखाया जाय और जो लोग सड़कों तथा अन्य जगहों पर जानवरों को बांध देते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

24.7.91

प्रस्ताव	निर्णय
	इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सफाई निरीक्षक चैक किया करें और यदि ऐसा देखने को मिले तो कड़ी कार्यवाही की जाय। श्री नरेन्द्रनाथसिंह, सफाई निरीक्षक ने कहा कि तीन वर्ष पहले चेकिंग किया था जिसमें जनाक्रोश हुआ था। इस पर डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि बोर्ड के गठित होने के बाद आपने इस सम्बन्ध में क्या किया? अगर इस कार्य हेतु पुलिस बल की आवश्यकता है तो उसे लिखकर दें और कल प्रातःकाल दें। उन्होंने आगे कहा कि एक बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में पुलिस बल लेकर कल निरीक्षण कार्य और चालान कार्य जांय और जो भी दुकानदार हैं, उन पर कार्यवाही की जाय। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री सोमनाथ आर्य, सभासद ने कहा कि हर जगह गोश्त की दुकानें हैं और जिन दुकानों पर जानवर कटते हैं, वह भी शुल्क देते हैं या नहीं, इसे भी देखना है यदि जानवर के बच्चे का शुल्क नहीं देते हैं।

प्रस्ताव

निर्णय:
तो उनके भी मुक्त किया जाय।
कल प्रात: काल निरीक्षण करें और
अनेधानिकृत पाये जाने पर
चालान करें और शाम को जो
बोर्ड के लोग उन्हें बतायें। श्री
अनवरजी सभासद ने सफाई निरीक्षकों
के दुकानों पर बिकने वाले
छोटे बड़े जानवरों के गोश्त के
बिक्री पर अंकुश लगाने की किस
हेतु सुझाव दिया उन्होंने यह भी
कहा कि पशुचिकित्सालय के
डाक्टर अवैध रूप से पैसा
लेकर बीमार जानवरों को कटने
हेतु मोहर, बिना उनका परीक्षण
किये ही, लगाते हैं। इसकी मैं
निन्दा करता हूँ इस पर अध्यक्ष
महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध
में लिखकर, पशु चिकित्सालय
जौनपुर के सम्बन्धित डाक्टर
को पत्र भेजा जाय और
प्रतिलिपि मुख्य चिकित्साधिकारी
जिलाधिकारी जौनपुर को भेजी
जाय और पालिका सफाई निरीक्षक
को भेजा जाय कि वे उनके साथ
रहकर निरीक्षण करें।
श्री श्रीमनार्थ आर्य, मान्य
सभासद ने कहा कि सिनेमा शो
टैक्स की दर क्या है और नगर
में कितने सिनेमाघर हैं तथा
प्रति शो की दर क्या है? बताया
जाय। इस पर अध्यक्ष महोदय

24.7.9

प्रस्ताव	निर्णय
	की अनुमति से श्री कौशल पाठक, प्रभारी रेन्ट रेवन्यू ने सदन में बताया कि जो सिनेमाघर 10,000=00 दस हजार से अधिक के कर निर्धारित के हैं, उनपर 20/- प्रतिशत टैक्स है और जो सिनेमाघर 10,000=00 दस हजार रुपये से कम कर निर्धारित के हैं, उनपर 10/- प्रतिशत टैक्स है, उन्होंने यह भी बताया कि केवल लालजी चित्रमन्दिर को कर निर्धारण दस हजार से अधिक है उस पर 20/- प्रतिशत टैक्स है, शेष सभी सिनेमाघरों पर 10/- प्रतिशत टैक्स है। आय-व्यय के चर्चा के दौरान ही श्री अतहरुल्ला सभासद ने कहा कि वे विशेष परिस्थितियों में निजी कार्यवश बैठक छोड़कर जा रहे हैं। सिनेमा शो टैक्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री राम नाथ आर्य, सभासद ने कहा कि प्रति माह कितना टैक्स सिनेमा शो टैक्स को मिलाकर होता है। आकलन करने पर 8500/- प्रतिमाह सिनेमा शो टैक्स से आय होना बताया गया, उन्होंने कहा कि आय-व्ययक में किसी

24.7.91

प्रस्ताव	निर्णय
	बकाया दिखाया गया है, यह क्यों वसूल नहीं हो पा रहा है, इस पर श्री श्रीधर यादव, प्रभारी रेन्ट रेवन्यू ने कहा कि यह बकाया जिन्हीं कारणों से रुका है वैसे वसूली का प्रयास जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री आर्य, सभासद ने कहा कि लाउडस्पीकर प्रचार की शुल्क दर क्या है और पोस्टर जो निकलता है, उसका शुल्क क्या है? जिसके उत्तर में श्री श्रीधर यादव, इंचार्ज रेन्ट रेवन्यू ने बताया कि प्रति लाउडस्पीकर प्रति दिन का निर्धारित शुल्क 15/- और पोस्टर के साथ जो लाउडस्पीकर बजता है उसका भी शुल्क 15/- प्रति लाउडस्पीकर प्रति दिन है। इसी परिपेक्ष्य में श्री आर्य ने पूछा कि पोस्टर टैक्स क्यों नहीं लगता जिस पर उन्हें बताया गया कि पोस्टर टैक्स शासन से माफ हो गया है इस पर श्री आर्य ने कहा कि क्या पोस्टर टैक्स पुनः लागू नहीं हो सकता यदि लागू हो सकता है तो उसके लिए लिखा पढ़ी की जाय इस पर अध्यक्ष महो० ने बताया कि शासन से जिन मदों पर रोक लगा दी गई है वह स्थगित है

24.7.91

प्रस्ताव-

निर्णय

इस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है
श्री बाबूलाल गुप्त, मान्य सभासद ने
कि लाउडस्पीकर से होने वाली
बहुत कम है। इसे और बढ़ाने का
किया जाय तथा जो लाउडस्पीकर
[illegible] नगर में प्रयोग किया जाय
शुल्क न जमा करने वालों
किया जाय तथा उनके विरुद्ध
वैधानिक कार्यवाही की जाय।

श्री शिवसागर सोनकर, मान्य
सभासद ने कहा कि वित्त समिति
की जो बैठक हुयी थी, उसकी
सूचना उन्हें बाद में मिली थी
वह बैठक उनसे पूछकर रखनी
थी, उन्होंने यह भी कहा कि
कमेटी की उनको यह पहली बैठक
थी, जिसमें वे उपस्थित थे
उसमें सभी बातें आ गयी हैं।
समिति में जो प्रस्ताव और निर्णय हुए
उसे लेखाकार ने बोर्ड के समक्ष
पढ़कर सुनाया जो निम्न प्रकार है

पालिका के वर्ष 1990-91 के माह
मार्च 91 आय-व्यय का लेखा, अप्रैल
91 मई 91, तथा जून 91 के आय-
व्यय के लेखों का निरीक्षण किया
गया। उपरोक्त लेखों की जाँच से स्पष्ट
हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष 1991-92
के माह अप्रैल 91, मई 91 तथा जून 91
में निजी स्रोतों से हुयी आय विगत
वर्ष की अपेक्षा बहुत कम है।
पालिका की आय की कमी पर चिन्ता

प्रस्ताव

निर्णय :-

गठित की गयी। समिति ने प्रस्तुत आय व्यय के लेखा को अनुमोदित करते हुये बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति करती है तथा निम्नलिखित बिन्दुओं को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित करने का निर्णय लेती है।

1. पालिका की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु गृहकर तथा जलकर का जनरल कर निर्धारण कराया जाय। बैठक में कर अधीक्षक से जानकारी प्राप्त हुयी कि कर निरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक कर निर्धारण नहीं किया जाता है, जिससे पालिका की ~~आय~~ मांग तथा वसूली में कमी आयी है। निरीक्षकों द्वारा नगर में नवनिर्मित तथा पुराने भवनों में अतिरिक्त निर्माण से उस पर कर निर्धारण का त्रैमासिक सूचना प्राप्त की जाय तथा उन का समावेश की मांग व पंजिका में में सम्मिलित किया जाय। स्वीकार।

2. भवनों के किराये की पुरानी दरों को पुनरीक्षित किया जाय। किराया जमा करने हेतु प्रत्येक माह की

प्रस्ताव	निर्णय
	तारीख निर्धारित की जाय तथा निर्धारित तिथि तक किराया न जमा किये जाने की स्थिति में दण्ड प्रस्तावित किया जाय। स्वीकार।
	3. जलमूल्य की मांग (ग्रॉस) निश्चित की जाय स्वीकार।
	4. नजूल भूमि के किराये की दरें पुनरीक्षित की जाय स्वीकार।
	5. करसंग्रहीताओं से निर्धारित मानक के अनुरूप वसूली कराई जाय। मानक के अनुरूप वसूली न किये जाने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय। स्वीकार।
	6. प्रोजेक्शन टैक्स लागू किया जाय। स्वीकार।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि अभी उन्हें ज्ञात हुआ है कि श्री विद्यासागर सोनकर वित्त समिति में हैं उन्हें नहीं मालूम है कि वे किस किस समिति में हैं और अन्य समितियों में कौन कौन से व्यक्ति हैं। अध्यक्ष ने कहा कि समिति का गठन सभी सभासदों से विचार विमर्श करके बनी थी फिर भी इसकी रचना सभी

प्रस्ताव	निर्णय
	सभासदों को कही जाय। इस पर अधिकांश सभासदों ने कहा कि समितियों का जो गठन हुआ है, उसे बोर्ड में पढ़कर सुनाया जाय। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से पार्षद लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा वर्ष 1991 में समितियों के गठन एवं कौन कौन से सदस्य किस किस समिति में चयनित किये गये हैं, उसे पढ़कर सुनाया।
3. सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह मार्च 91 का मासिक आय-व्यय लेखा विवरण प्रस्तुत परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु	पढ़ा गया। स्वीकार।
4. सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह अप्रैल 91 का मासिक आय-व्यय लेखा विवरण प्रस्तुत परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया। स्वीकार।
5. सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह मई 91 का मासिक आय-व्यय लेखा विवरण प्रस्तुत परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु	पढ़ा गया। स्वीकार।

प्रस्ताव	निर्णय
6. सिटी बोर्ड औरैया के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह जून 91 का मासिक आय व्ययक लेखा निकासा पत्रावरि परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया। स्वीकार।
7. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल 25/- दैनिक मजदूरी की दर से दिनांक 1.5.91 से 31.7.91 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
8. पालिका सफाई विभाग में 3 टैक्टरों पर 9 सफाई-बेलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक मजदूरी रु 25/- पर रखने की अवधि दिनांक 1-5-91 से 31-7-91 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

25.7.91 132

प्रस्ताव	निर्णय
9. पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन 30/- पर 33 पम्प अटेन्डेन्टों का कार्यकाल 1.5.91 से 31.7.91 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
10. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी रुपया 25/- प्रति दिन की दर से रखे गये गैंगमैनों का कार्यकाल 1.5.91 से 31.7.91 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी जलकल विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
11. पालिका प्रकाश विभाग में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में रखे गये एक मिस्त्री का कार्यकाल दिनांक 1.5.91 से 31.7.91 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पूर्व स्वीकृत दर 30/- पर वेतन की प्रकाश विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

24.7.8

प्रस्ताव	निर्णय :
12. पत्रावली बाबत नगर के निर्मित सड़कों की तह बाजारी वसूल करने हेतु पूर्व से कार्यरत पं. तहबाजारी मोहर्रिर को दैनिक मजदूरी 30/- पर रखने की स्वीकृति दिनांक 1.4.81 से 31.7.81 तक परिषद अनुमोदित हेतु।	स्वीकार।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि प्रकाश कमेटी के चेयरमैन श्री दयाशंकर ने प्रकाश कमेटी के सभापति पद से त्यागपत्र देने की बात कही, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह हंसी में कहा होगा, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि इसका कोई कारण अवश्य होगा इस पर श्री दयाशंकर, सभासद का कहना था कि प्रकाश विभाग का जो भी सामान क्रय होता है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती, बिना उनकी जानकारी के प्रकाश विभाग सम्बन्धी सामग्री कैसे क्रय की जा रही है और बिना प्रकाश समिति के अनुमोदन के कैसे कार्य हो रहा है, इस वित्तीय अनियमितता में बोर्ड पर आपत्ति लग सकती है इसलिये प्रकाश समिति के स्वीकृति के अनुसार ही कोई कार्य होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी कमेटी के विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग की बैठक बोर्ड की बैठक होने के पूर्व, आयोजित करके, उसमें अपने निर्णय के पश्चात बोर्ड में भेजा करें और तभी बोर्ड में वह प्रस्ताव लाया जाय। सभी समिति के अध्यक्ष को क्या अधिकार है वह बाइलाज

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव निर्णय

मे है। उसको एक-एक प्रति सभी विभागाध्यक्ष सेपरेशन को श्री महेश नारायण, परिषद लिपिक मेल तक दे दे।

13. आवेदन पत्र श्री निधा- स्वीकार।
नागर निगम, सभासद, लीगल एडवाइजर/अधिवक्ता प्रिवी-बोर्ड ज्वाइन किये की हैसियत से काम करते 30-5-91 बाबत पालिका की स्वीकृति हेतु शासन वादों की पैरवी करने का को लिखा जाय।
प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

उपरोक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव सभासद ने कहा कि क्या ऐसा करने का कोई प्राविधान है, इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, इसे स्पष्ट किया जाय। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से परिषद लिपिक ने सन 1968 के बोर्ड के एजेण्डा सं० 35 को बताया और उसे पढ़ा। उक्त प्रस्ताव को सुनने के बाद डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि इसमें अंकित है कि विगत वर्षों से नगर पालिका के दीवानी में चलने वाले वादों की पैरवी श्री मथुरा प्रसाद श्रीवास्तव, करते चले आ रहे हैं। डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि उक्त निर्णय को इसमें आधार नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई की कोई रूलिंग हो तो उसे लाया जा सकता है। इस पर श्री आर्य सभासद ने कहा कि ऐक्ट की धारा पढ़ा जाय और यदि कोई वैधानिक अड़चन न हो तो इसे स्वीकार समझा जाय, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह तो प्रस्ताव है, इसे पारित करने के पश्चात इसको स्वीकृति हेतु आयुक्त/शासन ~~मण्डल~~ को लिखा जायेगा। स्वीकृति मिलने पर

उन्हें अन्य पालिका अधिवक्ता की भाँति के फीस का भुगतान किया जायेगा, फिर भी यदि और किसी साथ सीनियर पालिका वादों की पैरवी कराना चाहते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। विचार विमर्श के उपरान्त यह तय पाया गया कि इसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाता है और इसको स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को पत्र लिखा जाय।

इसी बीच श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि नियुक्तियों में श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, यदि सीनियर कर्मचारी हैं तो उन्हें वरीयता दी जाय, जिसकी पुष्टि श्री बाबूलाल गुप्त, सभासद ने किया इस अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि यही होगा।

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 24.7.81 की पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

1 सिटी-बोर्ड जौनपुर सफाई विभाग के मृतक मिस्ती श्री सलीम पुत्र इस्माइल के आकस्मिक निधन में कर्मचारी-संघटन, अध्यक्ष-सिटी-बोर्ड जौनपुर एवं नगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मृतक के परिवार के कल्याण के लिये, लिये गये निर्णय के अनुसार 10,000/- दस हजार रुपये — स्वीकार।

मुआवजे के रूप में दिये
जाने का प्रस्ताव परिषद
अनुमोदन हेतु।

2. नगर के उत्तरी क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव एवं देखरेख के लिये मालिका प्रकाश विभाग का 2 मिस्त्री 30/- प्रत्येक मिस्त्री प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर दिनांक 1-5-91 से 31-8-91 तक का प्रस्ताव परिषद अनुमोदनार्थ। — स्वीकार।

चर्चा एवं प्रश्न व उत्तर :-

श्री राम अधार यादव, सभासद द्वारा दिये गये प्रश्न को परिषद लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा पढ़ा गया, जिसका उत्तर अध्यक्ष की अनुमति से श्री श्रीधर यादव, इंचार्ज रेन्ट रेवन्यू द्वारा उसी समय दिया गया, जिससे वे सन्तुष्ट हुये। श्री श्रीधर यादव, ने कहा कि एक पंखा शाकमंडी नाका, एक पंखा लाइन बाजार नाका में था, जिसे खोलकर मंगाया गया और वह सदर चुंगी में रखा हुआ है। कुछ फर्नीचर सदर चुंगी में लाये गये हैं, शेष चुंगी चौकियों पर कब्जा को बनाये रखने हेतु सामान लगे हुये हैं। डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पूछा कि क्या चुंगी नाकों पर किसी का कब्जा है? इस पर श्री श्रीधर यादव

21.7.

इंचार्ज सेन्ट्रल रेवन्यू ने बताया कि भमौरी नाके पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया था जिसे उन्होंने अनाधिकृत लोगों से ताले को पुलिस चौकी के पुलिस के जरिये तुड़वाकर बोर्ड का ताला लगवाया। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या किसी अन्य चुंगी नाका पर भी किसी का अनाधिकृत कब्जा है? इंचार्ज सेन्ट्रल रेवन्यू ने कहा कि किसी चुंगी नाका पर कोई अतिक्रमण या कब्जा नहीं है। डा० श्रीकृष्ण कुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि आज की तारीख तक किसी चुंगी नाके पर किसी का कोई कब्जा नहीं है, इसे बोर्ड की प्रोसीडिंग बुक (कार्यवाही पुस्तिका) में लोया जाय यानी अभिलिखित किया जाय। चर्चा में यह बात भी आयी कि अधिकांश चुंगी नाकों पर दरवाजे नहीं है, और जो है भी, वे टूटे है। कटघर चुंगी नाके पर किसी खटिक के कब्जा करने की बात श्री मुख्तार अहमद, सभासद ने कही उन्होंने सदन में यह भी कहा कि उक्त खटिक ने उन्हें बताया कि उसे उसको पट्टा कर दिया गया है, यह कहाँ तक सही है। इस पर श्री श्रीधर यादव, इंचार्ज सेन्ट्रल रेवन्यू ने कहा कि उसका कोई पट्टा नहीं हुआ है।

प्रश्न काल के दौरान श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने नगर में लगाये जा रहे हैन्डपम्पों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है? और कहाँ तक क्या प्रगति हुयी है। अध्यक्ष की अनुमति से श्री केदारनाथ यादव, अवर अभियन्ता (जल) ने बताया कि जो हैन्ड पम्प पारित हुये हैं और जो नहीं पारित हुए हैं उसकी सूची उनके पास है, जिसे वे पढ़कर सदन में सुना रहे थे कि नगर विधायक माननीय

श्री लालचन्द्र मौर्य जी पधारे।
माननीय नगर विधायक जी के
आने पर उनका स्वागत पालिका
अध्यक्ष, मान्य सभासद एवं
उपस्थित अधिकारियों / कर्म-
चारियों ने किया। माननीय
नगर विधायक के सम्मान
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि
"हम अपनी ओर तथा सभी
सभासदों की ओर से माननीय
नगर विधायक जी का स्वागत
करते हैं, क्यों कि जब से
बोर्ड का गठन हुआ है तब
से किसी नगर विधायक
बोर्ड की बैठक में सम्मिलित
नहीं हुये, मान॰ श्री मौर्य
ही पहले नगर विधायक हैं
जो बोर्ड के बैठक की सूचना
पर बोर्ड की बैठक में
भाग लेने पधारे हैं। माननीय
नगर विधायक भी सदन में
खड़े होकर, बैठक में विलम्ब
से पहुँचने के प्रति क्षमा
चाहते हुए सभी। सदन के
प्रति आभार प्रकट किया और
उन्होंने बताया कि वे अभी
जिलाधिकारी जौनपुर से हैंड
पम्प के बारे में बात
करके आ रहे हैं, उन्होंने
सदन को इस बात के
लिये भी आश्वस्त किया

कि नगर के पूरब सूर्वि[illegible]
उनके स्तर से जो भी [illegible]
अपेक्षित होगा, उसे भी पूरा
सहयोग देकर पूरा करायेंगे
तथा मान्य सभासदों तथा
अध्यक्ष के जो भी गतिविधियाँ सकारात्मक
कदम होंगे उससे एक कदम
आगे रहेंगे।

डा० श्री कृपाण कुमार श्रीवास्तव
मान्य सभासद ने कहा कि
सफाई कर्मचारी के पद पर
कौन कौन से लोग एवं
किस सम्वर्ग के व्यक्ति आते
हैं। अधिशासी अधिकारी
ने बताया कि डोम भंगी
रखा जा सकता है। डा०
श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने
पुनः कहा कि जो जानकारी
दी जाय वह सही सही दी
जाय तब उन्होंने पूछा कि
नगर-पालिका इन्टर कालेज
~~[illegible]~~ राजाबाजार जौनपुर
में श्री बृजलाल और
डबरू नाम के दो व्यक्ति
नियुक्त किये गये हैं वे
किस जाति के हैं और
उनमें से किसको नियुक्ति
स्वीपर पद पर की गयी है
यदि वे स्वीपर सम्वर्ग
में नहीं आते तो उनकी
नियुक्ति समाप्त की जाय

और उन्हें कल तक अवगत कराया जाय।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि जो भी शासनादेश (G.O) आते हैं, उसे सदन में सभी सभासदों की जानकारी हेतु रखा जाना चाहिये। मान्य सभासद एक शासनादेश की फोटो स्टेट दिखाते हुये बोले कि G.O No 6/379/207/अ०के०/80 दिनांक 27.5.91, है जिसे बोर्ड के समक्ष न किसी सभासद की जानकारी में नहीं लाया गया, क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? श्री महेशनारायण, परिषद लिपिक ने कहा कि जी०ओ० प्रायोरिटी प्रेषण लिपिक श्री भरत बाबू के पास आता है, उन्हें बोर्ड की बैठक में रखने हेतु नहीं मिलता, इस पर डा० श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी इसकी बात पर गौर करें कि जी०ओ० इन्हें नहीं मिलता। सदन में श्री भरत बाबू बुलाये गये और उन्होंने कहा कि सभी शासनादेश वे बड़े बाबू श्री गजराज सिंह को देते हैं, अध्यक्ष महो० द्वारा आदेश दिया गया कि सभी शासनादेश बैठक में रखा जाया करे। सम्बन्धित शासनादेश को डा० श्रीवास्तव मान्य सभासद ने पढ़कर सदन में सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि हर माह बोर्ड की बैठक नियमित रूप निर्धारित तिथि पर होनी चाहिये। इस पर डा० सुनील श्रीवास्तव तथा अन्य सभासदों ने कहा कि बैठक के लिए कोई तिथि निश्चित कर ली जाय। इस पर अध्यक्ष महो० ने 20 से 30 तारीख के बीच बैठक आहूत करने की बात को कहा, जिस पर डा० कृष्ण-कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने सुझाव दिया कि बैठक प्रत्येक माह में 25 से 28 तारीख के बीच की तिथि में की जाय, जिस पर सर्वाधिक सभासदों की सहमति पायी गयी।

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड
जौनपुर

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
सिटी बोर्ड
जौनपुर

...मात्र
प० लिपिक
24.7.91